

सेवा में,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश

विषय:- लोक सभा सामान्य निर्वाचन - 2014 में राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय से संबन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
आपके पत्र सन्दर्भ संख्या 2608/CEO-2-10/2-2013 दि० 31 अक्टूबर 2014 के अनुपालन में नेशनल अमन पार्टी को कटने का निर्देश हुआ है कि सामान्य निर्वाचन (लोकसभा) - 2014 में पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी और न ही पार्टी ने कोई प्रत्याशी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा किया था। तब पार्टी के जिम्मेदारी में कोई भी निर्वाचन व्यय नहीं आता है।

नोट:- महोदय, भविष्य में सभी पत्राचार/आवेदन प्रोफार्मा हिन्दी में करें, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है।
'हिन्दी का सम्मान करें।'

भवदीय
सुनवर सलीम
राष्ट्रीय अध्यक्ष
नेशनल अमन पार्टी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
नेशनल अमन पार्टी

राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों की सूचना
 [निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13(ख),(ग) और (ड) और 13क देखें]

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर

.....NIL.....(निर्वाचन-क्षेत्र)

द्वारा

(स्थानापन्न अभ्यर्थियों के नामों के लिए)

.....NIL.....के लिए साधारण निर्वाचन-उम्मादवारा का खंडा किया जाना।

महोदय,

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 3 (ख), (ग) और (ड) और 13क के अनुसरण में मैंNIL.....(दल) की ओर से एतद्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे-

(i) स्थानापन्न अभ्यर्थी

(ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तंभ 5 से 7 में वर्णित है, दल का स्थानापन्न अभ्यर्थी है जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन पत्र की समीक्षा के उपरांत खारिज किए जाने अथवा उसके निर्वाचन से हट जाने पर उसका स्थान लेगा यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक पता	स्थानापन्न अभ्यर्थी का नाम जो (i) अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन पत्र की समीक्षा के उपरांत खारिज किए जाने अथवा (ii) उसके (अनुमोदित अभ्यर्थी) हट जाने के बाद उसका स्थान लेगा, जबकि, स्थानापन्न अभ्यर्थी का नामांकन पत्र समीक्षा के उपरांत निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में स्वीकार कर लिया गया हो और स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।	स्थानापन्न अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	स्थानापन्न अभ्यर्थी का डाक पता
1	2	3	4	5	6	7
	NIL					
	NIL					

- 4 -

डा० अनवर सलीम
 राष्ट्रीय अध्यक्ष
 नेशनल अमन पार्टी

*2. फार्म "ख" में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री.....दल के स्थानापन्न अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री.....के पक्ष में पहले दी गई सूचना एतद्वारा विखंडित की जाती है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है।

शेखर
नेशनल जन पार्टी 16 दिसंबर 2014 को पार्टी का हित में चाहिए
इसके प्रवृत्त काली प्रकर के चुनाव में पार्टी ने प्रतिभाग नहीं
किया है।

तारीख.....

(दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर)
(दल की मोहर)

*यदि लागू न हो, तो काट दें।

- नोट : 1. नामांकन पत्र दायिगा काली की प्रति आफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए।
2. फार्म पर उक्त वर्णित पदाधिकारी/पदाधिकारियों द्वारा स्याही से हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी पदाधिकारी द्वारा रबड़ स्टाम्प द्वारा हस्ताक्षर या जाली हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. फैंक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. यदि लागू न हो तो फार्म का पैरा 2 काट दें, और यदि लागू हो तो उसे उचित रूप से भरा जाना चाहिए।

शेखर
नेशनल जन पार्टी
राज्य अध्यक्ष
राज्य अध्यक्ष
नेशनल जन पार्टी

- 5 -